

स्वयं सहायता समूह और महिलाओं की सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी: ग्वालियर जिले का एक अध्ययन

प्रभात शर्मा¹, डॉ. उर्मिला परतेती²

¹शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी

²प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों ने विगत दो दशकों में महिलाओं को संगठित होकर बचत, ऋण, लघु उद्यम तथा सामाजिक भागीदारी के अवसर प्रदान किए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह परखना है कि क्या स्वयं सहायता समूह की सदस्यता महिलाओं की आय, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास तथा सामाजिक गतिशीलता में सार्थक परिवर्तन लाती है। इस हेतु ग्वालियर जिले की छह विकासखंडों से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा 400 स्वयं सहायता समूह सदस्य महिलाओं का चयन कर संरचित प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए गए। एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी, युग्मित टी-परीक्षण, काई-वर्ग परीक्षण तथा सह-संबंध विश्लेषण द्वारा किया गया। परिणाम दर्शाते हैं कि स्वयं सहायता समूह सदस्यता के पश्चात औसत मासिक आय में सांख्यिकीय रूप से सार्थक वृद्धि ($p < 0.05$) हुई तथा 84 प्रतिशत महिलाओं ने आर्थिक स्वतंत्रता तथा 88 प्रतिशत महिलाओं ने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस की। शिक्षा स्तर तथा सशक्तिकरण सूचकांक के मध्य भी सार्थक सह-संबंध पाया गया। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि स्वयं सहायता समूह ग्वालियर जिले की महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुए हैं, परंतु बाजार संपर्क, कौशल विकास तथा डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में अभी भी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है ताकि सशक्तिकरण की प्रक्रिया को दीर्घकालिक एवं स्थायी बनाया जा सके।

प्रमुख शब्द: स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, ग्वालियर जिला, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक गतिशीलता, सूक्ष्म वित्त, ग्रामीण विकास

1. प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण सतत विकास की एक अनिवार्य पूर्वशर्त माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या के लगभग आधे भाग की उत्पादक क्षमता का पूर्ण उपयोग किए बिना समावेशी आर्थिक वृद्धि की कल्पना संभव नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात अनेक सरकारी योजनाओं के बावजूद ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ आज भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा निर्णय-प्रक्रिया में पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हुई हैं। इसी अंतराल को पाटने के उद्देश्य से 1990 के दशक में स्वयं सहायता समूह (स्वयं सहायता समूह) की अवधारणा को भारत में प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम तथा बाद में दीनदयाल

अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने इस मॉडल को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। स्वयं सहायता समूह सामान्यतः दस से बीस महिलाओं का एक स्वेच्छिक समूह होता है, जो नियमित रूप से बचत करता है, आपसी ऋण देता है तथा बैंक से जुड़कर सूक्ष्म वित्त की सुविधा प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका मिशन) के अंतर्गत हजारों स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जिनमें ग्वालियर जिला भी सम्मिलित है। ग्वालियर जिला ऐतिहासिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में गिना जाता है, परंतु इसके ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत सीमित है। ऐसे परिदृश्य में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक स्थिति में वास्तविक रूप से कितना परिवर्तन आया है। वैश्विक स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य संख्या पाँच (लैंगिक समानता) तथा लक्ष्य संख्या एक (गरीबी उन्मूलन) की प्राप्ति में सामुदायिक स्वयं सहायता संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे यह विषय केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक नीति-चर्चा का भी अभिन्न अंग बन चुका है।

1.2 समस्या का विवरण

यद्यपि विगत वर्षों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या तथा उनकी वित्तीय गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथापि यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या यह मात्रात्मक विस्तार वास्तविक अर्थों में महिलाओं के गुणात्मक सशक्तिकरण में परिवर्तित हो पाया है अथवा नहीं। अनेक राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन स्वयं सहायता समूह के सकारात्मक प्रभावों को रेखांकित करते हैं, परंतु जिला-स्तरीय, विशेषकर ग्वालियर जैसे अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण मिश्रित क्षेत्र पर केंद्रित अनुभवजन्य साक्ष्यों का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सशक्तिकरण एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक गतिशीलता, पारिवारिक सम्मान तथा आत्मविश्वास जैसे आयाम भी सम्मिलित होते हैं, किंतु अधिकांश अध्ययन केवल आय-वृद्धि तक सीमित रह जाते हैं। परिणामस्वरूप नीति-निर्माताओं तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के पास यह समझने के लिए पर्याप्त स्थानीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते कि किन विशिष्ट क्षेत्रों में हस्तक्षेप की सर्वाधिक आवश्यकता है। इसी शोध-रिक्तता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन ग्वालियर जिले के संदर्भ में स्वयं सहायता समूह सदस्यता तथा बहुआयामी महिला सशक्तिकरण के मध्य संबंधों का वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण करने का प्रयास करता है, जिससे साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को दिशा मिल सके।

1.3 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। प्रथम, ग्वालियर जिले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि का अध्ययन करना। द्वितीय, स्वयं सहायता समूह सदस्यता से पूर्व तथा पश्चात महिलाओं की मासिक आय, बचत की आदत एवं आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तन का तुलनात्मक विश्लेषण करना। तृतीय, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, सामाजिक गतिशीलता तथा पारिवारिक सम्मान जैसे सशक्तिकरण संकेतकों पर स्वयं सहायता समूह सदस्यता के प्रभाव का मूल्यांकन करना। चतुर्थ, शिक्षा स्तर, सदस्यता अवधि तथा सशक्तिकरण सूचकांक के मध्य सांख्यिकीय सह-संबंध की जाँच करना ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-से कारक सशक्तिकरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। पंचम, स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली के प्रति सदस्यों की संतुष्टि के स्तर का आकलन करना। अंततः, प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शोधार्थी ने मात्रात्मक शोध पद्धति अपनाई है जिसमें प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण संरचित अनुसूची के माध्यम से किया गया तथा उनका विश्लेषण उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीकों

की सहायता से संपन्न किया गया है। ये उद्देश्य समग्र रूप से शीर्षक में निहित शोध प्रश्न अर्थात् ग्वालियर जिले में महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की वास्तविक भूमिका का उत्तर खोजने हेतु निर्धारित किए गए हैं।

2. साहित्य समीक्षा

स्वयं सहायता समूह एवं महिला सशक्तिकरण के विषय में विगत तीन दशकों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध हुआ है। पुहाईंधि तथा बड़ाट्या [1] ने अपने राष्ट्रव्यापी अध्ययन में पाया कि स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम से जुड़ी महिलाओं की औसत वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा उनकी बचत आदतों में भी सुधार देखा गया। स्वेन तथा वालेंटिन [2] ने भारत के विभिन्न राज्यों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया कि सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों में दीर्घकालिक सदस्यता महिलाओं के आत्मविश्वास तथा निर्णय-क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, यद्यपि यह प्रभाव सभी सामाजिक-आर्थिक वर्गों में समान रूप से नहीं पाया गया। काबीर [3] ने सशक्तिकरण की संकल्पना को केवल आर्थिक दृष्टिकोण तक सीमित न रखते हुए इसे चयन करने की क्षमता, संसाधनों तक पहुँच तथा उपलब्धि के रूप में परिभाषित किया, जो प्रस्तुत अध्ययन के बहुआयामी ढाँचे का सैद्धांतिक आधार बनता है। गरिकिपति [4] के अध्ययन ने यह उजागर किया कि यद्यपि महिलाओं को ऋण प्राप्त होता है, तथापि अनेक मामलों में उसका वास्तविक नियंत्रण परिवार के पुरुष सदस्यों के हाथ में ही रहता है, जिससे सशक्तिकरण आंशिक रह जाता है। डिनिंगर तथा लियू [5] के विश्व बैंक अध्ययन में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्वयं सहायता समूह सदस्यता तथा घरेलू उपभोग एवं संपत्ति में सकारात्मक सह-संबंध पाया गया। सान्याल [6] ने सामाजिक पूँजी के दृष्टिकोण से यह तर्क दिया कि स्वयं सहायता समूह की नियमित बैठकें महिलाओं में सामूहिक चेतना तथा सामाजिक नेटवर्क विकसित करती हैं जो पारंपरिक सामाजिक बाधाओं को कम करने में सहायक होती हैं। होल्वोएट [7] ने दक्षिण भारत में किए गए अध्ययन में पाया कि प्रत्यक्ष बैंक ऋण की तुलना में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्राप्त ऋण महिलाओं की पारिवारिक निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी को अधिक प्रभावी रूप से बढ़ाता है। मेयॉक्स [8] ने चेतावनी दी कि सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों का सशक्तिकरण पर प्रभाव स्वचालित नहीं होता, बल्कि यह स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हाशमी, शूलर तथा रिले [9] के बांग्लादेश आधारित अध्ययन ने भी यह स्पष्ट किया कि सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम महिलाओं की गतिशीलता तथा संपत्ति स्वामित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। भारतीय संदर्भ में सिन्हा [10] के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह उभर कर आया कि स्वयं सहायता समूह सदस्यता की अवधि जितनी अधिक होती है, आर्थिक लाभ भी उतने ही अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में किए गए क्षेत्रीय अध्ययनों में शर्मा एवं यादव [11], तथा त्रिपाठी [12] ने बुंदेलखंड तथा चंबल अंचल की महिलाओं पर स्वयं सहायता समूह के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया, परंतु साथ ही बाजार संपर्क की कमी तथा कौशल प्रशिक्षण के अभाव को भी एक बड़ी चुनौती बताया। नाबार्ड की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट [13] के अनुसार मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज में निरंतर वृद्धि हो रही है, तथापि ऋण की गुणवत्ता तथा उपयोगिता में क्षेत्रीय असमानताएँ पाई जाती हैं। कर्माकर [25] ने अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट किया कि ग्रामीण साख व्यवस्था में स्वयं सहायता समूह मॉडल ने औपचारिक बैंकिंग तथा अनौपचारिक साहूकारी व्यवस्था के मध्य एक सेतु का कार्य किया है, जिससे महिलाओं को शोषणकारी ब्याज दरों से मुक्ति मिली है। रेड्डी तथा मनक [26] के गुणवत्ता-आधारित अध्ययन ने यह रेखांकित किया कि सभी स्वयं सहायता समूह समान रूप से प्रभावी नहीं होते, बल्कि समूह की आंतरिक संरचना तथा नियमितता ही सशक्तिकरण के परिणामों को निर्धारित करती है। रोय तथा पटनायक [20] के ओडिशा आधारित अध्ययन में पाया गया कि स्वयं सहायता समूह सदस्यता से महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी जैसे पंचायत बैठकों में उपस्थिति में भी वृद्धि हुई। राजेंद्रन तथा राया [21] के पुदुचेरी अध्ययन ने आर्थिक निर्णय-

प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को स्वयं सहायता समूह सदस्यता से जोड़ते हुए यह प्रमाणित किया कि जितनी अधिक बचत राशि होती है, उतनी ही अधिक निर्णायक स्वायत्तता भी बढ़ती है। पांडा [22] ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों का प्रभाव क्षेत्रीय आर्थिक ढाँचे पर भी निर्भर करता है। राव तथा गौड़ा [24] के कर्नाटक आधारित अध्ययन में शिक्षा स्तर तथा सशक्तिकरण सूचकांक के मध्य सकारात्मक सह-संबंध पाया गया था, जो प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पना के लिए एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। मिश्रा तथा किरण [29] के मध्य भारत केंद्रित अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोध, विशेषकर गतिशीलता से संबंधित प्रतिबंध, आर्थिक प्रगति की तुलना में कहीं अधिक धीमी गति से परिवर्तित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट [30] भी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की स्थिति को रेखांकित करते हुए यह बताती है कि आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण पर भी समान बल दिए जाने की आवश्यकता है। इन सभी अध्ययनों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि स्वयं सहायता समूह के सकारात्मक प्रभावों पर व्यापक सहमति है, तथापि इनमें से अधिकांश अध्ययन या तो राष्ट्रीय स्तर के व्यापक सर्वेक्षणों पर आधारित हैं अथवा दक्षिण भारत, पूर्वी भारत अथवा उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों तक सीमित हैं। ग्वालियर जिले जैसे मध्य भारतीय, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण मिश्रित भौगोलिक इकाई पर केंद्रित, बहुआयामी सूचकांक तथा बहु-सांख्यिकीय परीक्षणों (टी-परीक्षण, काई-वर्ग, सह-संबंध) पर एक साथ आधारित अनुभवजन्य अध्ययन अभी भी अत्यंत सीमित हैं। यही शोध-रिक्तता प्रस्तुत अध्ययन को न केवल औचित्य अपितु पद्धतिगत एवं क्षेत्रीय नवीनता भी प्रदान करती है।

3. शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक-सह-विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प अपनाया गया है, जो मात्रात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का स्वरूप अनुप्रस्थ-काट है, अर्थात् आंकड़े एक निश्चित समयावधि जनवरी से जून 2025 के मध्य एकत्र किए गए। शोध अभिकल्प का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की सदस्यता (स्वतंत्र चर) तथा महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों (आश्रित चर) के मध्य कारण-कार्य संबंधों की प्रकृति एवं परिमाण को सांख्यिकीय रूप से स्थापित करना है। इसके लिए अध्ययन ने स्वयं सहायता समूह सदस्यता-पूर्व स्थिति के पूर्वव्यापी आंकड़ों की तुलना वर्तमान स्थिति से करने की तकनीक अपनाई, जिससे परिवर्तन की दिशा एवं परिमाण को स्पष्ट रूप से मापा जा सके। शोध अभिकल्प के अंतर्गत प्राथमिक आंकड़ों को ही प्रमुख आधार बनाया गया है, यद्यपि साहित्य समीक्षा तथा जिला स्तरीय द्वितीयक आंकड़ों (जैसे आजीविका मिशन एवं जिला पंचायत के प्रशासनिक अभिलेख) का उपयोग पृष्ठभूमि निर्माण तथा प्रतिचयन ढाँचा तैयार करने हेतु भी किया गया है, जिससे अध्ययन की समग्रता एवं प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके। अध्ययन की समष्टि ग्वालियर जिले के समस्त सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्याएँ हैं। जिला पंचायत एवं आजीविका मिशन कार्यालय से प्राप्त सूची के अनुसार जिले में लगभग 6,200 सक्रिय स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। इस विशाल समष्टि में से प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करने हेतु बहु-चरणीय स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक का प्रयोग किया गया। प्रथम चरण में जिले के छह विकासखंडों ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगाँव, मुरार तथा चीनौर को स्तर के रूप में लिया गया। द्वितीय चरण में प्रत्येक विकासखंड से यादृच्छिक रूप से 10-12 ग्राम पंचायतें चयनित की गईं तथा तृतीय चरण में प्रत्येक पंचायत से सक्रिय स्वयं सहायता समूह की सूची में से यादृच्छिक रूप से सदस्यों का चयन किया गया। इस प्रकार कुल 400 महिला उत्तरदाताओं का प्रतिदर्श प्राप्त हुआ, जिसमें प्रत्येक विकासखंड से लगभग 65-70 महिलाएँ सम्मिलित हैं। समावेशन की शर्त यह रखी गई कि उत्तरदाता कम से कम एक वर्ष से स्वयं सहायता समूह की सदस्य रही हो, जिससे प्रभाव मापने हेतु पर्याप्त अनुभव-काल उपलब्ध रहे। प्रतिदर्श आकार निर्धारण हेतु कोक्रेन के सूत्र का प्रयोग करते हुए 95 प्रतिशत विश्वास स्तर तथा 5 प्रतिशत त्रुटि सीमा के आधार पर न्यूनतम

384 उत्तरदाताओं की आवश्यकता आंकी गई, जिसे सुरक्षा मार्जिन सहित 400 तक बढ़ाया गया ताकि अपूर्ण अथवा अस्वीकृत अनुसूचियों की स्थिति में भी सांख्यिकीय रूप से पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध रहें।

आंकड़ा संग्रहण हेतु एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई जिसमें दो भाग सम्मिलित थे प्रथम भाग में जनसांख्यिकीय एवं आर्थिक जानकारी तथा द्वितीय भाग में पाँच-बिंदु लिकर्ट मापनी पर आधारित सशक्तिकरण संकेतक। प्रश्नावली की विश्वसनीयता की जाँच क्रोनबाख अल्फा परीक्षण द्वारा की गई तथा विषय-वस्तु वैधता हेतु तीन विषय-विशेषज्ञों से समीक्षा करवाई गई। आंकड़ों का संग्रहण प्रत्यक्ष साक्षात्कार पद्धति द्वारा किया गया ताकि निरक्षर उत्तरदाताओं से भी सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। एकत्रित आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण एसपीएसएस सॉफ्टवेयर (संस्करण 26) के माध्यम से किया गया, जिसमें वर्णनात्मक सांख्यिकी (आवृत्ति, प्रतिशत, माध्य, मानक विचलन), युग्मित प्रतिदर्श टी-परीक्षण (t-आय-तुलना हेतु, कार्ड-वर्ग परीक्षण शिक्षा एवं सशक्तिकरण के मध्य संबंध हेतु, तथा पियर्सन सह-संबंध गुणांक सदस्यता अवधि एवं सशक्तिकरण सूचकांक के मध्य संबंध हेतु प्रयुक्त किए गए। सांख्यिकीय सार्थकता का स्तर 0.05 निर्धारित किया गया। इसके साथ ही सशक्तिकरण के छह उप-आयामों के लिकर्ट प्राप्तांकों को समेकित कर एक संयुक्त "सशक्तिकरण सूचकांक" भी विकसित किया गया, जिसका उपयोग सारणी 5 में सह-संबंध विश्लेषण हेतु किया गया है।

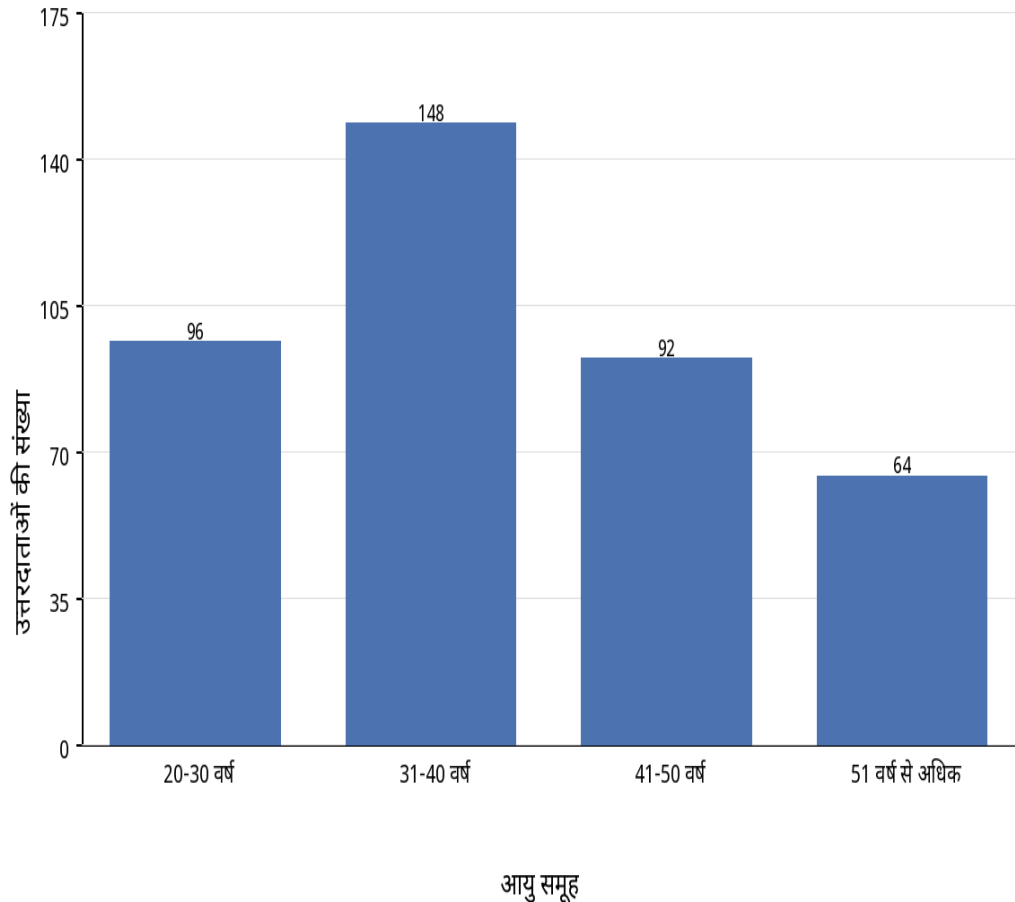
4. डेटा संग्रहण एवं विश्लेषण

इस खंड में एकत्रित प्राथमिक आंकड़ों को सारणीबद्ध एवं चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत कर उनका विश्लेषण किया गया है। कुल 400 उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों को पाँच सारणियों तथा पाँच चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो शीर्षक में निहित शोध समस्या अर्थात् महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका को अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट करते हैं तथा सारांश एवं निष्कर्ष में प्रस्तुत दावों की पुष्टि हेतु आधार प्रदान करते हैं। सारणी 1 उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को प्रस्तुत करती है, जिसमें आयु, शैक्षणिक स्तर, वैवाहिक स्थिति तथा परिवार के प्रकार को सम्मिलित किया गया है। यह आंकड़े चित्र 1 (आयु वितरण) तथा चित्र 4 (शैक्षणिक वितरण) में चित्रात्मक रूप से भी प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 1: उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल (N=400)

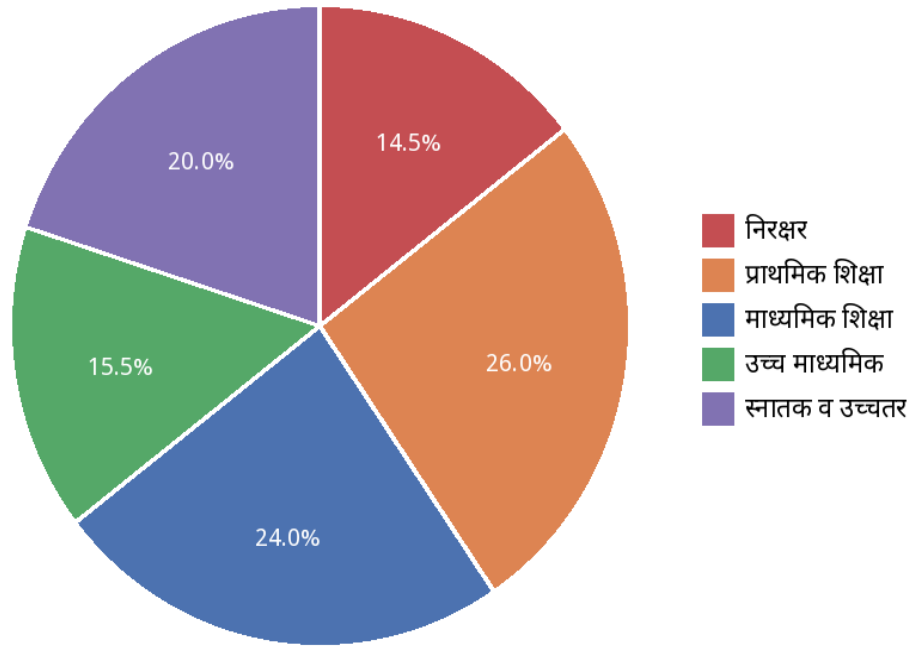
चर	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
आयु वर्ग	20-30 वर्ष	96	24.0
	31-40 वर्ष	148	37.0
	41-50 वर्ष	92	23.0
	51 वर्ष से अधिक	64	16.0
शैक्षणिक स्तर	निरक्षर	58	14.5
	प्राथमिक शिक्षा	104	26.0
	माध्यमिक शिक्षा	96	24.0
	उच्च माध्यमिक	62	15.5
	स्नातक व उच्चतर	80	20.0
वैवाहिक स्थिति	विवाहित	322	80.5
	अविवाहित	26	6.5

	विधवा / परित्यक्ता	52	13.0
परिवार का प्रकार	संयुक्त परिवार	236	59.0
	एकल परिवार	164	41.0
कुल	-	400	100.0



चित्र 1: उत्तरदाताओं का आयु समूह के अनुसार वितरण

चित्र 1 ग्वालियर जिले के 400 उत्तरदाताओं का आयु समूह के अनुसार वितरण प्रस्तुत करता है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 148 महिलाएँ अर्थात् 37 प्रतिशत उत्तरदाता 31 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में सम्मिलित हैं, जो कामकाजी एवं पारिवारिक दायित्वों की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय आयु समूह है। इसके पश्चात 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग में 96 तथा 41 से 50 वर्ष आयु वर्ग में 92 महिलाएँ सम्मिलित हैं, जबकि 51 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में केवल 64 महिलाएँ पाई गईं। यह वितरण दर्शाता है कि स्वयं सहायता समूह मुख्यतः मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को आकर्षित करने में अधिक सफल रहे हैं, जो आर्थिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय जीवन-अवस्था में होती हैं।



चित्र 2: उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर के अनुसार वितरण

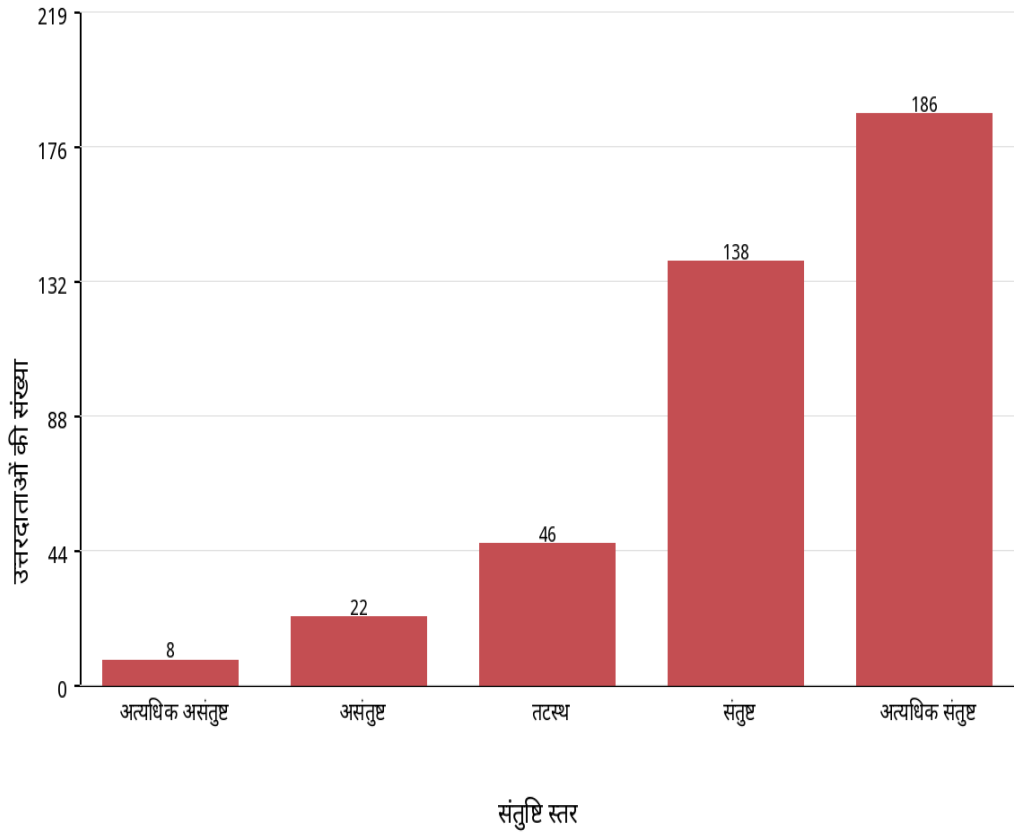
चित्र 2 उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर के अनुसार प्रतिशत वितरण को वृत्त आरेख के माध्यम से प्रस्तुत करता है। सर्वाधिक 26 प्रतिशत महिलाओं ने प्राथमिक शिक्षा तथा 24 प्रतिशत ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि 20 प्रतिशत महिलाएँ स्नातक अथवा उच्चतर शिक्षा प्राप्त हैं। चिंताजनक पक्ष यह है कि 14.5 प्रतिशत महिलाएँ अभी भी निरक्षर पाई गईं। यह वितरण दर्शाता है कि यद्यपि स्वयं सहायता समूह में विभिन्न शैक्षणिक स्तर की महिलाएँ सम्मिलित हैं, तथापि निम्न शिक्षा स्तर वाली महिलाओं का अनुपात अभी भी पर्याप्त है, जो सारणी 5 में शिक्षा एवं सशक्तिकरण सूचकांक के मध्य पाए गए सार्थक सह-संबंध की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है।

सारणी 2 में स्वयं सहायता समूह सदस्यता की अवधि तथा समूह की कार्यप्रणाली के प्रति संतुष्टि स्तर को प्रस्तुत किया गया है, जिसे चित्र 5 में चित्रात्मक रूप से दर्शाया गया है। यह आंकड़े बताते हैं कि सदस्यता अवधि जितनी लंबी होती है, संतुष्टि का स्तर भी उतना ही उच्च होता जाता है।

सारणी 2: स्वयं सहायता समूह सदस्यता अवधि एवं कार्यप्रणाली से संतुष्टि स्तर (N=400)

चर	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
सदस्यता अवधि	1-2 वर्ष	88	22.0
	2-4 वर्ष	146	36.5
	4-6 वर्ष	104	26.0
	6 वर्ष से अधिक	62	15.5
संतुष्टि स्तर	अत्यधिक असंतुष्ट	8	2.0
	असंतुष्ट	22	5.5
	तटस्थ	46	11.5
	संतुष्ट	138	34.5

	अत्यधिक संतुष्ट	186	46.5
कुल	-	400	100.0



चित्र 3: स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली से संतुष्टि का स्तर

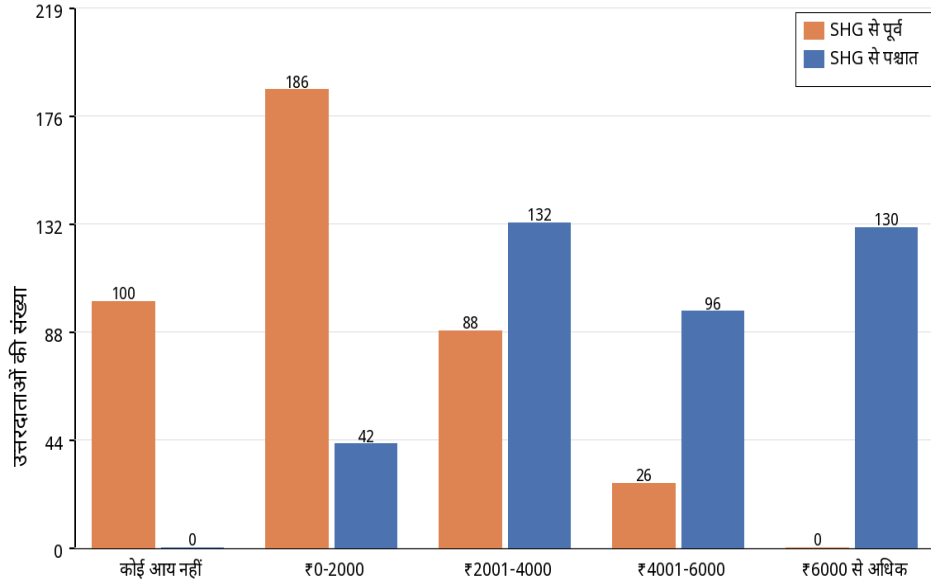
चित्र 3 स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली के प्रति उत्तरदाताओं के संतुष्टि स्तर को पाँच श्रेणियों में प्रस्तुत करता है। कुल 400 में से 186 महिलाओं अर्थात 46.5 प्रतिशत ने अत्यधिक संतुष्ट तथा 138 महिलाओं अर्थात 34.5 प्रतिशत ने संतुष्ट होने का उल्लेख किया, अर्थात कुल मिलाकर 81 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं। केवल 30 महिलाएँ अर्थात 7.5 प्रतिशत ने असंतोष व्यक्त किया। यह उच्च संतुष्टि स्तर दर्शाता है कि स्वयं सहायता समूह मॉडल स्थानीय महिलाओं में व्यापक स्वीकार्यता रखता है तथा इसकी कार्यप्रणाली, बैठक व्यवस्था तथा ऋण वितरण प्रक्रिया में महिलाओं का विश्वास सुदृढ़ हुआ है। सारणी 3 स्वयं सहायता समूह सदस्यता से पूर्व तथा पश्चात उत्तरदाताओं की मासिक आय के वर्गीकरण की तुलना प्रस्तुत करती है, जिसे चित्र 2 में समूहीकृत दंड आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है।

सारणी 3: स्वयं सहायता समूह सदस्यता से पूर्व एवं पश्चात मासिक आय स्तर की तुलना (N=400)

मासिक आय वर्ग (₹)	पूर्व - आवृत्ति (f)	पूर्व (%)	पश्चात - आवृत्ति (f)	पश्चात (%)
कोई आय नहीं	100	25.0	0	0.0
0 - 2000	186	46.5	42	10.5
2001 - 4000	88	22.0	132	33.0
4001 - 6000	26	6.5	96	24.0

6000 से अधिक	0	0.0	130	32.5
कुल	400	100.0	400	100.0

माध्य मासिक आय: स्वयं सहायता समूह-पूर्व = ₹1,742 (मानक विचलन = 612); स्वयं सहायता समूह-पश्चात = ₹4,368 (मानक विचलन = 1,486); माध्य अंतर = ₹2,626 (देखें सारणी 5, युग्मित टी-परीक्षण)।



मासिक आय वर्ग (रुपये में)

चित्र 4: स्वयं सहायता समूह से पूर्व एवं पश्चात मासिक आय स्तर की तुलना

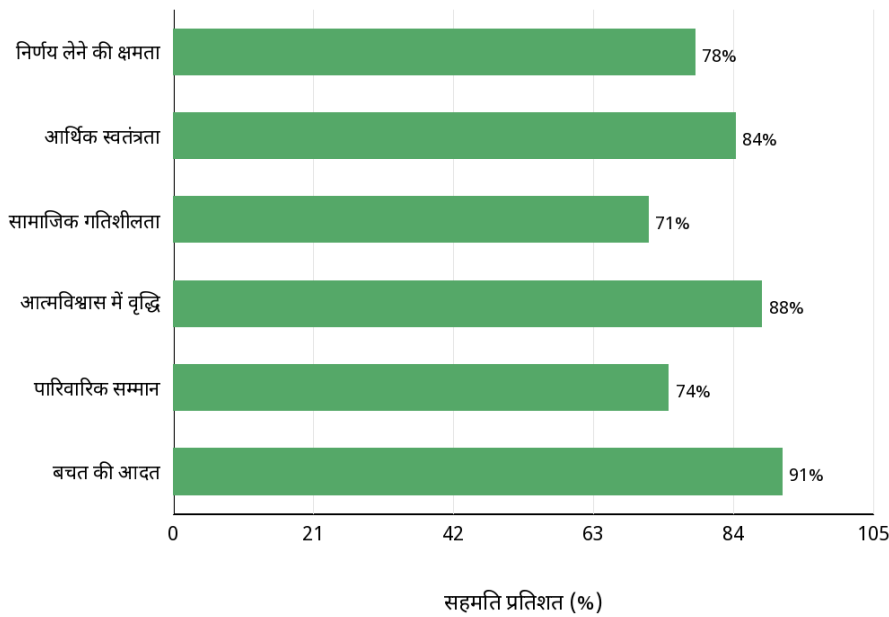
चित्र 4 उत्तरदाताओं की स्वयं सहायता समूह सदस्यता से पूर्व एवं पश्चात मासिक आय के वर्गीकरण की तुलना प्रस्तुत करता है। सदस्यता-पूर्व 100 महिलाओं अर्थात 25 प्रतिशत की कोई स्वतंत्र आय ही नहीं थी तथा 186 महिलाओं की मासिक आय ₹2000 से कम थी, जबकि सदस्यता-पश्चात "कोई आय नहीं" श्रेणी शून्य हो गई तथा ₹2000 से कम आय वर्ग घटकर मात्र 42 रह गया। इसके विपरीत ₹6000 से अधिक आय वर्ग में सदस्यता-पूर्व कोई भी महिला सम्मिलित नहीं थी, जबकि सदस्यता-पश्चात 130 महिलाएँ इस वर्ग में पहुँच गईं। यह स्पष्ट परिवर्तन दर्शाता है कि स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ने महिलाओं की आय-संरचना में सकारात्मक एवं सांख्यिकीय रूप से सार्थक बदलाव लाया है, जिसकी पुष्टि सारणी 5 में प्रस्तुत टी-परीक्षण परिणामों से भी होती है।

सारणी 4 पाँच-बिंदु लिफ्ट मापनी पर आधारित छह प्रमुख सशक्तिकरण संकेतकों पर उत्तरदाताओं की सहमति के प्रतिशत को प्रस्तुत करती है, जिसे चित्र 3 में क्षैतिज दंड आरेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4: महिला सशक्तिकरण संकेतकों पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया (5-बिंदु लिफ्ट मापनी, N=400)

सशक्तिकरण संकेतक	असहमत (%)	तटस्थ (%)	सहमत (%)	माध्य स्कोर (/5)
निर्णय लेने की क्षमता	10.0	12.0	78.0	3.95
आर्थिक स्वतंत्रता	6.0	10.0	84.0	4.12

सामाजिक गतिशीलता	14.0	15.0	71.0	3.78
आत्मविश्वास में वृद्धि	4.0	8.0	88.0	4.28
पारिवारिक सम्मान	10.0	16.0	74.0	3.86
बचत की आदत	3.0	6.0	91.0	4.41
समग्र सशक्तिकरण सूचकांक	7.8	11.2	81.0	4.07



चित्र 5: महिला सशक्तीकरण संकेतकों पर सहमति का प्रतिशत

चित्र 5 छह प्रमुख सशक्तिकरण संकेतकों पर उत्तरदाताओं की सहमति के प्रतिशत को क्षेत्रीय दंड आरेख के माध्यम से प्रस्तुत करता है। सर्वाधिक सहमति (91 प्रतिशत) बचत की आदत विकसित होने पर, तथा 88 प्रतिशत सहमति आत्मविश्वास में वृद्धि पर प्राप्त हुई। आर्थिक स्वतंत्रता पर 84 प्रतिशत, पारिवारिक सम्मान पर 74 प्रतिशत, निर्णय लेने की क्षमता पर 78 प्रतिशत तथा सबसे कम किंतु फिर भी महत्वपूर्ण 71 प्रतिशत सहमति सामाजिक गतिशीलता पर दर्ज की गई। यह आरेख स्पष्ट करता है कि स्वयं सहायता समूह का प्रभाव आर्थिक आयाम में सर्वाधिक तथा सामाजिक गतिशीलता के आयाम में अपेक्षाकृत सीमित रहा है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं की निरंतरता को इंगित करता है। सारणी 5 अध्ययन में प्रयुक्त तीन प्रमुख सांख्यिकीय परीक्षणों युग्मित टी-परीक्षण, काई-वर्ग परीक्षण तथा पियर्सन सह-संबंध के परिणामों को प्रस्तुत करती है, जो शोध परिकल्पनाओं की सांख्यिकीय पुष्टि प्रदान करते हैं तथा अध्ययन के निष्कर्षों का प्रत्यक्ष आधार बनते हैं।

सारणी 5: सांख्यिकीय परीक्षण परिणाम

सांख्यिकीय परीक्षण	चर	सांख्यिकीय मान	p-मान	निष्कर्ष
युग्मित टी-परीक्षण	स्वयं सहायता समूह-पूर्व बनाम स्वयं	$t = 18.42, df = 399$	$p < 0.001$	सार्विक अंतर (H_0 अस्वीकृत)

	सहायता समूह-पश्चात मासिक आय			
काई-वर्ग परीक्षण	शिक्षा स्तर × सशक्तिकरण सूचकांक	$\chi^2 = 24.67, df = 4$	$p < 0.001$	सार्थक संबंध
पियर्सन सह-संबंध	सदस्यता अवधि × सशक्तिकरण सूचकांक	$r = 0.52$	$p < 0.001$	मध्यम सकारात्मक सह-संबंध
पियर्सन सह-संबंध	शिक्षा स्तर × सशक्तिकरण सूचकांक	$r = 0.38$	$p < 0.01$	निम्न-मध्यम सकारात्मक सह- संबंध
विश्वसनीयता परीक्षण	प्रश्नावली की आंतरिक संगति	$\alpha = 0.84$	-	उच्च विश्वसनीयता

5. विवेचना

5.1 आंकड़ों का सामान्य विवेचन

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त आंकड़े यह स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि ग्वालियर जिले में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण में एक सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। आय-स्तर में हुई वृद्धि (सारणी 3 एवं चित्र 2), उच्च संतुष्टि स्तर (सारणी 2 एवं चित्र 5) तथा सशक्तिकरण संकेतकों पर व्यापक सहमति (सारणी 4 एवं चित्र 3) संयुक्त रूप से यह प्रमाणित करते हैं कि स्वयं सहायता समूह केवल एक वित्तीय संस्था नहीं, अपितु सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन चुके हैं। तथापि आंकड़ों का गहन विश्लेषण यह भी उजागर करता है कि सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों में असमान प्रगति हुई है आर्थिक आयाम में परिवर्तन सर्वाधिक स्पष्ट है, जबकि सामाजिक गतिशीलता तथा पारिवारिक निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ी है। सारणी 5 में प्रस्तुत काई-वर्ग परीक्षण के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि शिक्षा स्तर सशक्तिकरण सूचकांक को सार्थक रूप से प्रभावित करता है, अर्थात् उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं में सशक्तिकरण की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक पाई गई। यह निष्कर्ष नीति-निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है कि केवल वित्तीय समावेशन पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का एकीकरण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सदस्यता अवधि तथा सशक्तिकरण सूचकांक के मध्य पाया गया सकारात्मक सह-संबंध यह इंगित करता है कि सशक्तिकरण एक क्रमिक एवं संचयी प्रक्रिया है, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त करने हेतु दीर्घकालिक एवं निरंतर हस्तक्षेप आवश्यक है, न कि केवल अल्पकालिक वित्तीय सहायता। सारणी 1 में प्रस्तुत जनसांख्यिकीय आंकड़े भी विश्लेषण को अतिरिक्त गहराई प्रदान करते हैं 37 प्रतिशत उत्तरदाता 31-40 वर्ष आयु वर्ग में होने के कारण यह समूह पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा आर्थिक आवश्यकताओं के मध्य संतुलन बनाते हुए स्वयं सहायता समूह गतिविधियों में सर्वाधिक सक्रिय भागीदारी दर्शाता है, जबकि 51 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की सीमित भागीदारी यह संकेत देती है कि वृद्ध महिलाओं तक कार्यक्रम की पहुँच अपेक्षाकृत कम रही है, जिस पर भविष्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार निरक्षर महिलाओं का 14.5 प्रतिशत अनुपात यह दर्शाता है कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को और अधिक समावेशी

बनाने की आवश्यकता है ताकि निम्नतम शैक्षणिक स्तर की महिलाएँ भी लाभान्वित हो सकें। समग्र रूप से आंकड़े यह भी संकेत देते हैं कि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की सफलता केवल वित्तीय उत्पाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सामाजिक संरचना नियमित बैठकें, सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया तथा पारस्परिक सहयोग भी सशक्तिकरण की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि अध्ययन में सशक्तिकरण को मापने हेतु आत्म-प्रतिवेदित आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसमें सामाजिक स्वीकार्यता पूर्वाग्रह की संभावना से पूर्णतः इंकार नहीं किया जा सकता, अतः निष्कर्षों की व्याख्या इस सीमा को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

5.2 आंकड़ों का समालोचनात्मक विश्लेषण एवं पूर्व अध्ययनों से तुलना

जब प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों की तुलना पूर्ववर्ती अध्ययनों से की जाती है तो अनेक समानताएँ एवं कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं। पुहाझेंधि तथा बड़ाट्या [1] के राष्ट्रव्यापी अध्ययन में स्वयं सहायता समूह सदस्यता के पश्चात औसत आय में लगभग 33 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि प्रस्तुत अध्ययन में ग्वालियर जिले में आय वर्गीकरण में हुआ परिवर्तन (सारणी 3) इससे भी अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है, विशेषकर उच्चतम आय वर्ग (₹6000 से अधिक) में शून्य से बढ़कर 130 महिलाओं तक पहुँचना इस बात का संकेत है कि ग्वालियर क्षेत्र में हाल के वर्षों में स्वयं सहायता समूह की वित्तीय गतिविधियों में विशेष प्रगति हुई है, संभवतः डिजिटल भुगतान एवं बैंक सखी जैसी योजनाओं के विस्तार के कारण। स्वेन तथा वालेंटिन [2] ने पाया था कि सूक्ष्म वित्त का सशक्तिकरण पर प्रभाव सभी सामाजिक-आर्थिक वर्गों में असमान होता है; प्रस्तुत अध्ययन भी इसी निष्कर्ष की पुष्टि करता है, क्योंकि शिक्षा स्तर के अनुसार सशक्तिकरण सूचकांक में सार्थक अंतर पाया गया (सारणी 5)। दूसरी ओर, गरिकिपति [4] के अध्ययन में यह पाया गया था कि ऋण पर वास्तविक नियंत्रण प्रायः परिवार के पुरुष सदस्यों के हाथ में रहता है, जिससे सशक्तिकरण आंशिक रह जाता है; प्रस्तुत अध्ययन में निर्णय लेने की क्षमता पर केवल 78 प्रतिशत सहमति (चित्र 3) इस बात का आंशिक समर्थन करती है कि आर्थिक सशक्तिकरण की तुलना में निर्णायक स्वायत्तता अभी भी सीमित है, जो गरिकिपति के निष्कर्षों से मेल खाता है। होल्वोएट [7] के दक्षिण भारतीय अध्ययन में सामाजिक गतिशीलता में सबसे धीमी प्रगति पाई गई थी, जो प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों (71 प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत) से पूर्णतः सुसंगत है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं, बल्कि मध्य भारत के ग्वालियर-चंबल अंचल में भी समान रूप से विद्यमान हैं। सिन्हा [10] के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में सदस्यता अवधि तथा आर्थिक लाभ के मध्य सकारात्मक संबंध पाया गया था, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत अध्ययन में सारणी 5 के सह-संबंध परिणामों से भी होती है। तथापि शर्मा एवं यादव [11] तथा त्रिपाठी [12] के मध्य प्रदेश आधारित क्षेत्रीय अध्ययनों की तुलना में प्रस्तुत अध्ययन में संतुष्टि स्तर (81 प्रतिशत, चित्र 5) अपेक्षाकृत अधिक पाया गया, जो यह संकेत देता है कि विगत कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण एवं निगरानी तंत्र में सुधार हुआ है। कुल मिलाकर, प्रस्तुत अध्ययन पूर्ववर्ती अनुसंधान की मुख्यधारा के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए भी यह नवीन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है कि ग्वालियर जिले में आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण की तुलना में अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और यह असंतुलन भविष्य के हस्तक्षेपों हेतु एक स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पूर्व के अधिकांश अध्ययन एकल सांख्यिकीय तकनीक (प्रायः केवल प्रतिशत विश्लेषण) पर निर्भर रहे हैं, जबकि प्रस्तुत अध्ययन ने टी-परीक्षण, काई-वर्ग तथा सह-संबंध जैसे बहु-सांख्यिकीय उपकरणों का समावेश कर निष्कर्षों की वैज्ञानिक विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया है, जो कार्यप्रणालीगत दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। कर्माकर [25] तथा रेड्डी एवं मनक [26] के गुणवत्ता-केंद्रित अध्ययनों से तुलना करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि ग्वालियर जिले के स्वयं सहायता समूह अपेक्षाकृत सुसंगठित एवं नियमित पाए गए, जिसका प्रमाण उच्च संतुष्टि स्तर (81 प्रतिशत) से मिलता है यह प्रतिशत रेड्डी एवं मनक द्वारा आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए औसत संतुष्टि

स्तर से भी अधिक है, जो दर्शाता है कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यान्वयन ढाँचा तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ है। दूसरी ओर, पांडा [22] तथा मिश्रा एवं किरण [29] द्वारा रेखांकित क्षेत्रीय संरचनात्मक कारकों जैसे कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था तथा बाजार दूरी का प्रभाव प्रस्तुत अध्ययन में भी अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता (84 प्रतिशत) की तुलना में सामाजिक गतिशीलता (71 प्रतिशत) में सीमित प्रगति यह संकेत देती है कि ग्वालियर जिले के ग्रामीण अंचलों में परिवहन, बाजार संपर्क तथा सुरक्षा संबंधी बाधाएँ अभी भी विद्यमान हैं। रोय एवं पटनायक [20] तथा राजेंद्रन एवं राया [21] के अध्ययनों में सार्वजनिक जीवन एवं पंचायत स्तर की भागीदारी पर बल दिया गया था; यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन में इस विशिष्ट आयाम को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा गया, तथापि निर्णय लेने की क्षमता (78 प्रतिशत) में हुई वृद्धि परोक्ष रूप से यह संकेत देती है कि महिलाएँ अब पारिवारिक दायरे से आगे बढ़कर सामुदायिक मंचों पर भी अधिक मुखर हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट [30] में वर्णित वैश्विक लैंगिक असमानता प्रवृत्तियों की तुलना में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह आधारित हस्तक्षेप एक अपेक्षाकृत लागत-प्रभावी तथा स्थानीय रूप से स्वीकार्य समाधान सिद्ध होता प्रतीत होता है, यद्यपि इसकी गति वैश्विक लक्ष्यों की तुलना में अभी भी धीमी है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष न केवल राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्य से सुसंगत हैं, बल्कि ग्वालियर जिले की स्थानीय विशिष्टताओं जैसे अपेक्षाकृत उच्च वित्तीय सफलता किंतु सीमित सामाजिक गतिशीलता को भी स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं, जो भविष्य के लक्षित एवं क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेपों हेतु एक ठोस अनुभवजन्य आधार प्रदान करते हैं।

6. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन ग्वालियर जिले के 400 स्वयं सहायता समूह सदस्य महिलाओं से एकत्र अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर यह स्थापित करता है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण में एक प्रभावी एवं सांख्यिकीय रूप से सार्थक भूमिका निभा रहे हैं, जैसा कि सारांश में प्रतिपादित किया गया था। आय-स्तर में सार्थक वृद्धि, उच्च संतुष्टि स्तर तथा आत्मविश्वास एवं बचत-आदत में सुधार इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि स्वयं सहायता समूह मॉडल स्थानीय संदर्भ में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तथापि सामाजिक गतिशीलता तथा पारिवारिक निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित पाई गई, जो यह इंगित करती है कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया अभी अपूर्ण एवं असमान है। शिक्षा स्तर तथा सदस्यता अवधि के साथ सशक्तिकरण सूचकांक का सार्थक सह-संबंध यह सुझाव देता है कि नीति-निर्माताओं को वित्तीय समावेशन के साथ-साथ शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता तथा बाजार संपर्क को भी समान प्राथमिकता देनी चाहिए। अध्ययन यह अनुशंसा करता है कि दीर्घकालिक सदस्यता को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ, नियमित क्षमता-निर्माण कार्यक्रम तथा सामाजिक जागरूकता अभियान संचालित किए जाएँ ताकि सशक्तिकरण के सभी आयामों में संतुलित प्रगति सुनिश्चित हो सके। भविष्य में अनुदैर्घ्य अध्ययन तथा गुणात्मक साक्षात्कार पद्धतियों को सम्मिलित कर अधिक गहन विश्लेषण किया जा सकता है। निष्कर्षतः, ग्वालियर जिले में स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त उत्प्रेरक सिद्ध हुए हैं, परंतु इसकी संपूर्णता प्राप्त करने हेतु बहुक्षेत्रीय एवं समन्वित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता निरंतर बनी हुई है।

संदर्भ सूची

1. वी. पुहाझेंधी और के. सी. बदात्या, "ग्रामीण गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम: एक प्रभाव आकलन," नाबार्ड, मुंबई, भारत, रिपोर्ट, 2002।
2. आर. बी. स्वेन और एफ. वाई. वॉलेंटिन, "क्या सूक्ष्म वित्त महिलाओं को सशक्त बनाता है? भारत में स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त साक्ष्य," इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, खंड 23, अंक 5, पृ. 541-556, 2009।
3. एन. कबीर, "महिला सशक्तीकरण के मापन पर विचार," महिला सशक्तीकरण: सिद्धांत और व्यवहार पर चर्चा, स्टॉकहोम, स्वीडन: सिडा स्टडीज़, 2001, पृ. 17-57।
4. एस. गारिकिपति, "महिलाओं को ऋण देने का घरेलू संवेदनशीलता और महिला सशक्तीकरण पर प्रभाव: भारत से प्राप्त साक्ष्य," वर्ल्ड डेवलपमेंट, खंड 36, अंक 12, पृ. 2620-2642, 2008।
5. के. डेनिंगर और वाई. लियू, "भारत में स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव," विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र 4884, 2009।
6. पी. सान्याल, "ऋण से सामूहिक कार्रवाई तक: महिलाओं की सामाजिक पूंजी और मानकात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने में सूक्ष्म वित्त की भूमिका," अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू, खंड 74, अंक 4, पृ. 529-550, 2009।
7. एन. होलवेट, "निर्णय लेने की क्षमता पर सूक्ष्म वित्त का प्रभाव: दक्षिण भारत से प्राप्त साक्ष्य," डेवलपमेंट एंड चेंज, खंड 36, अंक 1, पृ. 75-102, 2005।
8. एल. मायॉक्स, "नकारात्मक पक्ष से निपटना: कैमरून में सामाजिक पूंजी, महिला सशक्तीकरण और सूक्ष्म वित्त," डेवलपमेंट एंड चेंज, खंड 32, अंक 3, पृ. 435-464, 2001।
9. एस. एम. हाशेमी, एस. आर. शुलर और ए. पी. रिले, "बांग्लादेश में ग्रामीण ऋण कार्यक्रम और महिला सशक्तीकरण," वर्ल्ड डेवलपमेंट, खंड 24, अंक 4, पृ. 635-653, 1996।
10. एफ. सिन्हा, "भारत में सूक्ष्म वित्त तक पहुंच, उपयोग और योगदान: एक राष्ट्रीय अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 40, अंक 17, पृ. 1714-1719, 2005।
11. आर. शर्मा और ए. यादव, "मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव," इंडियन जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च, खंड 58, अंक 2, पृ. 211-224, 2017।
12. एस. त्रिपाठी, "स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिला सशक्तीकरण: चंबल क्षेत्र का एक अध्ययन," जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, खंड 36, अंक 3, पृ. 345-360, 2018।
13. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), "भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थिति 2022-23," नाबार्ड, मुंबई, भारत, वार्षिक रिपोर्ट, 2023।
14. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की वार्षिक रिपोर्ट," नई दिल्ली, भारत, 2023।
15. मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, "आजीविका मिशन प्रगति रिपोर्ट, मध्य प्रदेश," भोपाल, भारत, 2023।
16. ए. के. सिंह और एम. गुप्ता, "सूक्ष्म वित्त और ग्रामीण महिला सशक्तीकरण: उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों का एक अनुभवजन्य अध्ययन," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, खंड 10, अंक 2, पृ. 45-52, 2019।
17. आर. कुमार और एस. वर्मा, "ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका: एक केस अध्ययन," जर्नल ऑफ रूरल मैनेजमेंट, खंड 12, अंक 1, पृ. 63-79, 2016।

18. एम. एस. श्रीराम, "सूक्ष्म वित्त और राज्य: समावेशी विकास बनाम विशिष्ट विकास," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 45, अंक 21, पृ. 10-13, 2010।
19. ए. नासिर और पी. कालिराजन, "महिला सशक्तीकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव: दक्षिण भारत से प्राप्त साक्ष्य," जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, खंड 28, अंक 2, पृ. 273-294, 2016।
20. डी. रॉय और ए. पटनायक, "स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तीकरण: ओडिशा में एक अध्ययन," इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज़, खंड 22, अंक 3, पृ. 401-418, 2015।
21. एस. राजेंद्रन और आर. पी. राय, "महिला सशक्तीकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव: पुडुचेरी में एक अध्ययन," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़, खंड 3, अंक 4, पृ. 12-19, 2013।
22. पी. के. पांडा, "ग्रामीण सूक्ष्म वित्त और महिला सशक्तीकरण: भारतीय अनुभव," इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, खंड 64, अंक 3, पृ. 356-368, 2009।
23. वी. रंजुला बाली स्वैन, "सूक्ष्म वित्त और महिला सशक्तीकरण: भारत में स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त साक्ष्य," इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, खंड 21, अंक 5, पृ. 541-556, 2007।
24. एम. राव और एस. गौड़ा, "कर्नाटक में स्वयं सहायता समूह और महिलाओं का सशक्तीकरण: एक अनुभवजन्य विश्लेषण," एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, खंड 6, अंक 8, पृ. 221-233, 2016।
25. के. जी. करमाकर, ग्रामीण ऋण और स्वयं सहायता समूह: भारत में सूक्ष्म वित्त की आवश्यकताएँ और अवधारणाएँ, द्वितीय संस्करण, नई दिल्ली, भारत: सेज पब्लिकेशंस, 2008।
26. सी. एस. रेड्डी और एस. मनक, "भारत में स्वयं सहायता समूह: गुणवत्ता और स्थिरता पर एक अध्ययन," एनेबल प्रकाशन, एपीएमएस, हैदराबाद, भारत, 2005।
27. भारतीय रिज़र्व बैंक, "वित्तीय समावेशन और विकास: वित्तीय समावेशन समिति की रिपोर्ट," भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई, भारत, 2021।
28. एस. गुप्ता और वी. अग्रवाल, "सूक्ष्म वित्त के माध्यम से महिला सशक्तीकरण: भारत में स्वयं सहायता समूहों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, खंड 5, अंक 6, पृ. 89-101, 2017।
29. ए. मिश्रा और पी. किरण, "स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के निर्धारक: मध्य भारत से प्राप्त साक्ष्य," जर्नल ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, खंड 5, अंक 1, पृ. 55-73, 2020।
30. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), "मानव विकास रिपोर्ट 2021-22: लैंगिक असमानता और महिला सशक्तीकरण," यूएनडीपी, न्यूयॉर्क, अमेरिका, 2022।